

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

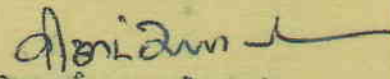
क्रमांक 262 1972-73

यह प्रमाणित किया जाता है कि बालू भांसीय सोसायटी उदयपुर
..... जिला उदयपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक ३० अप्रैल १९७३ सन् एक हजार नौ सौ त्रिंशत्तर को
जयपुर में दिया गया।



रा.को.सु.ज. 1899-2000-70.


(वी.जी.ई.एस. जगदीश चाल)
रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर।